

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 1099 / 2006

संस्थापन दिनांक 14.11.2006

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड  
म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—अरविन्द व्यास पुत्र आत्माराम व्यास, उम्र 33 साल  
निवासी ग्राम सिहोंनिया थाना सिहोंनिया जिला मुरैना

— अभियुक्त

निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 03.11.06 को 12:30 बजे पाना पुल भिण्ड ग्वालियर रोड मालनपुर जिला भिण्ड पर डम्पर क्रमांक एम0पी0-07-एच.6922 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा रमेशचन्द्र (फौत), रघुशजसिंह, दिनेश अ0सा02 की उक्त वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण परिचालन कर उपहति कारित की तथा किशनदेवी अ0सा01, रामचित्र अ0सा05 को उक्त वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण परिचालन कर घोर उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 03.11.06 को जीप क्रमांक एम0पी0-06-ए.7070 में बैठकर मालनपुर से मेहगांव जा रहा था उसके साथ किशनदेवी थी व दिनेश जीप को चला रहा था जीप में अन्य लोग भी बैठे थे जैसे ही वह लोग जीप से पाना पुल पर पहुंचे तो सामने से भिण्ड तरफ से पीले रंग का डम्पर का चालक डम्पर को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और जीप में टक्कर मार दी जिससे जीप में बैठी सवारियों को चोटें आईं। जीप क्षतिग्रस्त हो गयी थी फरियादी आशीष शिवहरे के भी सिर व बांये हाथ की छोटी अंगुली में चोट आई जीप के पीछे एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा था जिसे जीप

घिसटने से चोट आई डम्पर चालक डम्पर को भगाकर ले गया। तत्पश्चात् फरियादी रमेशचन्द्र शिवहरे ने थाना मालनपुर में आरोपी के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई जिस पर से अप0क्र0 153/06 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-

1. क्या घटना दिनांक 03.11.06 को 12:30 बजे पाना पुल भिण्ड ग्वालियर रोड मालनपुर जिला भिण्ड पर डम्पर क्रमांक एम0पी0-07-एच.6922 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर रमेशचन्द्र, रघुराजसिंह, दिनेश की उक्त वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण परिचालन कर उपहति कारित की ?
3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर किशनदेवी, रामचित्र को उक्त वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण परिचालन कर घोर उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का सकारण निष्कर्ष //

5. साक्षी किशनदेवी अ0सा01 ने कथन किया है कि वर्ष 2006 में दिन के साढ़े ग्यारह-बारह बजे वह जीप से भिण्ड जा रही थी जीप में कैलाशी व सार्थक भी साथ में थे जब वह पाना नदी के पास पहुंचे तब वह जीप रोककर अपने बेटे को पानी पिला रही थी तब सामने से डम्पर चालक ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी जिससे गाड़ी नीचे गिर गयी डम्पर चालक ने सामने से आकर उल्टी दिशा में टक्कर मारी थी। डम्पर का नंबर क्या था वह नहीं बता सकती और डम्पर कैसे चल रहा था वह यह भी नहीं बता सकती। अभियोजन द्वारा सुझाव स्वरूप पूछे जाने पर इस साक्षी ने कथन प्र0पी-1 में डम्पर क्रमांक एम0पी0-07-एच.6922 द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारे जाने के तथ्य लिखाये जाने की जानकारी होने से इंकार किया है। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि डम्पर वाला तेजी व लापरवाही से वाहन को चला रहा था और घटना में दिनेश अ0सा02, रघुराज और रमेश व एक अन्य मोटरसाइकिलवाले को चोट आई थी।
6. साक्षी दिनेश अ0सा02 ने कथन किया है कि वर्ष 2006 में जीप क्रमांक एम0पी0-07-ए.7070 को वह मालनपुर से भिण्ड ले जा रहा था जिसमें किशनदेवी, रमेश, जयदेवी बैठे थे। जीप वह स्वयं चला रहा था तब पाना पुल पर भिण्ड की ओर से आ रहे डम्पर जिसका नंबर उसे याद नहीं है तेजी व लहराते हुए आया और जीप में टक्कर मार दी जिससे गाड़ी को नुकसान हुआ और सवारियों को चोटें आईं उसके बांये हाथ में लगी थी और खून निकल आया था डम्पर को कौन चला रहा था उसे नहीं मालूम। अभियोजन द्वारा सुझाव स्वरूप पूछे जाने पर डम्पर क्रमांक एम0पी0-07-एच.6922 बताने में इस साक्षी ने असमर्थता व्यक्त की है और यह भी जानकारी होने से इंकार किया है कि जीप

मोटरसाइकिल में लगी। कथन प्र0पी-2 में भी डम्पर क्रमांक एम0पी0-07-एच. 6922 लिखाये जाने से इंकार किया है प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि उसकी गाड़ी 20-30 की स्पीड से चल रही थी।

7. साक्षी रामचित्र अ0सा05 ने कथन किया है कि दिनांक 03.11.06 को वह मोटरसाइकिल से ग्वालियर जा रहा था तब पाना पुल पर गोहद की तरफ से एक पीले रंग का डम्पर तेजी व लापरवाही से चलकर आया और उसने उसकी साइड चल रही जीप में टक्कर मार दी जिससे जीप घिसटकर पीछे आई और उसके ऊपर चढ़ गयी जिससे उसके पांव व चेहरे पर चोट आई थी। उसके चेहरे पर फ्रैक्चर भी हो गया था। डम्पर का नंबर क्या था तथा उसे कौन चला रहा था उसे नहीं मालूम। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि उसने कथन प्र0पी-9 में बताया था कि डम्पर क्रमांक एम0पी0-07-एच.6922 को आरोपी अरविन्द द्वारा चलाकर दुर्घटना कारित की गयी है।
8. साक्षी डॉ० आलोक शर्मा अ0सा03 ने कथन किया है कि दिनांक 03.11.06 को वह सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था उसी दिनांक को थाना मालनपुर के आरक्षक मोहरसिंह नंबर 487 द्वारा लाये जाने पर आहत रमेशचन्द्र पुत्र अमरचन्द शिवहरे निवासी लहार का का परीक्षण करने पर आहत के एक चोट माथे पर दांयी तरफ एक गुणा 0.5गुणा0.5 से.मी. तथा 2गुणा0.5गुणा0.5 से.मी. के फटे हुए घावे थे तथा बांये हाथ की छोटी अंगुली पर 2गुणा1 से.मी. का छिले का घाव था। उसके मतानुसार आहत को आई चोटें साधारण प्रकृति की होकर कड़े एवं भौथरी वस्तु से आना संभावित है तथा परीक्षण के 12 घण्टे के भीतर की हैं। मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी-3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तथा उसी दिनांक को उसने आहत रघुराजसिंह पुत्र अंगदसिंह जाटव निवासी कनाथर का परीक्षण करने पर आहत के दांये घुटने में 4गुणा1.6 से.मी. का छिले का घाव था। उसके मतानुसार चह चोट साधारण प्रकृति की होकर कड़े एवं भौथरी वस्तु से आना संभावित है तथा परीक्षण के 12 घण्टे के भीतर की हैं।
9. साक्षी मैथिलीशरण अ0सा04 ने कथन किया है कि वह दिनांक 03.11.06 को थाना मालनपुर में प्र0आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अप0क्र0 153/06 धारा 279, 337 भादवि की एफ.आई.आर. विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी जिसमें दिनांक 04.11.06 को फरियादी रमेशचन्द्र शिवहरे की निशादेही में घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्र0पी-5 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तथा उक्त दिनांक को मौके पर क्षतिग्रस्त जीप क्रमांक एम0पी0-06-ए.7070 तथा मोटरसाइकिल टी.व्ही.एस. क्षतिग्रस्त हालत में जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी-6 बनाया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं फरियादी रमेशचन्द्र के बताये अनुसार कथन लेख किए थे तथा दिनांक 12.11.06 को साक्षी रघुराजसिंह, मजरूह जयदेवी, दिनेशसिंह, कृष्णादेवी के कथन उनके बताये अनुसार लेख किए थे तथा दिनांक 12.11.06 को डम्पर क्रमांक एम.पी. 07-जी.6922 को आरोपी अरविन्द व्यास से जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी-7 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी अरविन्द व्यास को गिरफ्तार कर प्र0पी-8 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
10. फरियादी रमेशचन्द्र की मृत्यु होने से अभियोजन उसे साक्ष्य में प्रस्तुत

नहीं करा सका है। प्रत्यक्ष साक्षी रघुराज का भी अभियोजन ने परीक्षण नहीं कराया है। अतः घटना के प्रत्यक्ष साक्षी मात्र आहतगण ही रहते हैं। जिनमें से साक्षी किशनदेवी अ0सा01, दिनेश अ0सा02 व रामचित्र अ0सा05 ने आरोपी अरविन्द को पहचानने में असक्षमता व्यक्त की है और मुख्यपरीक्षण में भी दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक का नाम अथवा वाहन का क्रमांक बताने में असमर्थ रहे हैं। अतः परीक्षित कराये गये किसी साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि घटना के समय आरोपी ही डम्पर क्रमांक एम0पी0-07-एच.6922 को उपेक्षापूर्वक चला रहा था जिसके द्वारा दुर्घटना कारित की गयी है। अभियोजन का मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर है और प्रत्यक्ष आहत साक्षीगण द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 03.11.06 को 12:30 बजे पाना पुल भिण्ड ग्वालियर रोड मालनपुर जिला भिण्ड पर डम्पर क्रमांक एम0पी0-07-एच.6922 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा रमेशचन्द्र (फौत), रघुराजसिंह, दिनेश अ0सा02 की उक्त वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण परिचालन कर उपहति कारित की तथा किशनदेवी अ0सा01, रामचित्र अ0सा05 को उक्त वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण परिचालन कर घोर उपहति कारित की।

11. परिणामतः आरोपी को धारा 279, 337, 338 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
12. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
13. प्रकरण में जप्त वाहन क्रमांक एम0पी0-07-एच.6922 पूर्व से आवेदक दिनेश शर्मा की सुपुर्दगी में है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित समझा जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -  
(गोपेश गर्ग)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0